महिला सशक्तिकरण एवं भारत

डॉ0 ब्रजेश चन्द्र मिश्र

वरिष्ठ सहायक व्याख्याता,
राजनीति शास्त्र विभाग,
श्री जे0एन0पी0जी0 कालेज, लखनऊ

महिला सशक्तीकरण का विषय मानवाधिकार से निकट रूप से जुड़ा हुआ है। महिला सशक्तीकरण के मानदण्ड विश्व के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न है। विकसित और विकासशील देश दोनों ही महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं। महिला सशक्तीकरण का सम्बन्ध मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए महिला सशक्तीकरण के मानदण्ड भी भिन्न–भिन्न हैं। किसी समाज का महिला सशक्तीकरण का मानदण्ड, दूसरे किसी समाज के लिए महिला का निर्बलीकरण हो सकता है। प्रमुख प्रश्न यह है कि महिला सशक्तीकरण का विषय प्रत्येक समाज व क्षेत्र के लिए, उसकी परम्परा के अनुसार हो और किसी सभ्यता के ऊपर ये विषय बाहर से न थोपा जाए। उल्लेखनीय है कि मूल्यों और परम्पराओं की भिन्नता होते हुए भी कुछ ऐसे मूलभूत विषय हैं, जो प्रत्येक समाज पर एक साथ लागू किए जा सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता। महिला सशक्तीकरण इन तत्वों के बिना अधूरा है, इसके लिए सिर्फ सरकारी व्यवस्था करके काम नहीं चलने वाला बल्कि, महिला के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो, इसके लिए भी कार्य करना। संवैधानिक व्यवस्थाओं की उपलब्धता के बाद भी हमें महिला सशक्तीकरण के मार्ग में एक बहुत लम्बी यात्रा तय करनी है। पुरूष प्रधान समाज और मूल्य इस तरह से प्रभावी हैं कि, महिलाओं की कोई अस्मिता भी है, इसके लिए हमें आज भी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया की आधी आबादी महिला ही तो है, और वो भी अधिकतर निर्बल ही है। ऐसी स्थिति में हम एक संतुलित समाज के निर्माण की बात कैसे कर सकते हैं। महिला सशक्तीकरण मात्र वृहद स्तर पर कार्य करने से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें परिवार के स्तर से लेकर प्रत्येक स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। सन् 2011 में की गई जनगणना से पता चलता है कि नारी और पुरूष के अनुपात में लगातार अंतर बढ़ रहा है। अगर हम 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों की बात करें तो, कन्याओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सुधार होने के बजाए, स्थिति और खराब हो चुकी है। सन् 2011 की जनगणना संदेश देती है कि हमें अपने नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। भारत में महिलाओं को संवैधानिक अधिकार तो मिले ही हैं, किन्तु सामाजिक वातावरण महिलाओं के अनुकूल आज भी नहीं है। चाहें गांव हो या अत्याधुनिक नगर, हर जगह महिलाओं की असुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। निर्भया जैसे काण्ड देश के माथे पर कलंक है, अध्ययन करने पर पता चलता है कि विश्व के अग्रणी देशों में भी महिला उत्पीड़न चरम पर ही रहा है। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग[1] की स्थापना

Scanned with CamScanner

31 जनवरी सन् 1992 में की गई थी। महिला उत्पीड़न के मामले महिला आयोग तक पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं। महिला आयोग का पता भी ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को नहीं होगा। भारत का संविधान लिंग समानता पर बल देता है। वह महिलाओं को सशक्त करने के लिए राज्यों की भूमिका के सकारात्मक स्वरूप पर बल देता है। इसी कारण भारत में महिला कल्याण कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं और चलाए जाते हैं, जिससे कि महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत हों। सन् 2001 के महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति लिंग असमानता दूर करने के लिए नीतिगत स्तर पर काम करती है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में भी महिला उत्थान पर जोर देती है, किन्तु सिर्फ सरकारी कदम से वांछित सुधार नहीं आएगा, जब तक कि परिवार, गांव, नगर, राज्य और राष्ट्र, सभी स्तरों पर जागरूकता का विस्तार नहीं होगा। महिला सशक्तीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कन्या भ्रूण हत्या की रही है। महिलाओं के सशक्तीकरण से उनके ऊपर होने वाले अत्याचार में कमी आएगी, साथ ही साथ उनको अपने अधिकारों का भी भान होगा। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी भी में सशक्त करेगी। कृषि के क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में महिला उत्पीड़न के विरूद्ध किए गए विधायन मील का पत्थर साबित होंगें। महिला एक्ट इसका एक जीवंत उदाहरण है। महिला भ्रूण हत्या को रोकने एवं महिला उत्थान के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आरम्भ किया है। ऐसे कार्यक्रम निःसंदेह मील का पत्थर साबित होंगें। सुकन्या समृद्धि योजना भी इस मार्ग में एक अति महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का विकास अधूरा है यदि आधी आबादी विपन्न, अशिक्षित, पिछड़ी, पीड़ित और शोषित। महिला सशक्तीकरण हेतु भारत में राज्यों के स्तर पर भी काफी कार्य हुआ है, किन्तु सभी राज्यों में समान परिणाम नहीं मिले हैं। सन् 2012 में एक अध्ययन[2] के अनुसार, जिसमें भारत के 15 बड़े राज्यों को सम्मिलित किया गया, महिला सशक्तीकरण के भिन्न–भिन्न परिणाम देखे गए, ये राज्य थे–आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जिन मानदण्डों पर अध्ययन किया गया था, वे कुल तीन थे। पहला महिलाओं पर सामाजिक स्तर, दूसरा आर्थिक भागीदारी और तीसरा राजनीतिक भागीदारी। 'महिला सशक्तीकरण में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा उसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल का स्थान रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई सुधार नहीं था। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात का महिला सशक्तीकरण में क्रमशः, एक दूसरे की तुलना में तीसरा, पांचवां और सातवां स्थान रहा, यदि सन् 1996 से 2000 और 2001 से 2007 के बीच मे देखा जाए। आन्ध्र प्रदेश जो 2001 से 2007 के बीच में चौथे स्थान पर था, में महिला सशक्तीकरण की ओर सतत सुधार हुआ। 2001 से 2007 के मध्य आसाम, पंजाब, हरियाणा के पैमाने में ह्रास हुआ जबकि उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार देखा गया। राज्य महिला सशक्तीकरण सूची संकेत देती है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात की महिलाएं बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य की महिलाओं से कहीं अधिक सशक्त हैं।'[3]

Scanned with CamScanner

महिला सशक्तीकरण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय मानवाधिकारों का भी है। मानवाधिकार से हमारा तात्पर्य मानव मात्र को मिलने वाली उन सारी मूलभूत सुविधाओं से है जो मनुष्य मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार विषय पर भी मूल्यगत विवाद के कारण इसे परिभाषित करने में कठिनाईयां आती हैं। यह अधिकार क्या हैं, उनकी क्या परिभाषा है, इसे कौन प्रदान करेगा, इस सिद्धान्त का प्रसार कौन करेगा, जैसे विषय भी महत्वपूर्ण हैं। राज्यों की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण है। स्त्री सुरक्षा, मानव मूल्यों के पुनर्निमाण से होकर गुजरती है। मानवाधिकारों की रक्षा से हम स्त्री विमर्श पर अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। मानवाधिकारों के विषय में, 'वैचारिक साम्राज्यवाद' से भी बचना है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दुनिया के कुछ विकसित देश मानवाधिकारों के नाम पर अपने व्यापारिक स्वार्थ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिकी विचारकों का मानना है कि मानवाधिकारों का विषय इतना विषद हो चुका है कि इसके सिद्धान्त तार्किक सीमाओं से बाहर चले गए हैं, अतः हास्यास्पद हो गए हैं। दुनिया के देशों में सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है, और मानवाधिकार भी संस्कृति विशेष के अनुसार ही तय होते हैं। जब हम मानवाधिकारों को सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर पूरी दुनिया में एक साथ लागू करना चाहते हैं, तो इसके विरूद्ध भिन्न–भिन्न संस्कृतियों की आवाजें उठने लगती हैं। "अतः मानवाधिकारों के उल्लंघन की विवेचना करने के लिए हमें उस राष्ट्र विशेष की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार मापदण्डों का निर्माण करना होगा।"[4] आधुनिक उदारवादी समाज प्रायः मानवाधिकारों की बात करता है। वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जो हमारे अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो, जिसमें मनुष्य सम्मानपूर्वक रह सके और उसका विकास हो, जहां पर लिंग, रंग और सम्प्रदाय के आधार पर भेद–भाव न हो। मानवाधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अमेरिका स्वाधीनता उद्घोषणा, सन् 1776, में किया गया। यदि मानवाधिकार का इतिहास देखा जाए तो ये उतना ही प्राचीन है जितना की स्वयं मनुष्य। पहले भी मानव मूल्य रहे हैं, उनकी सबसे पहली शिक्षा धर्मों में निहित है। मानव मूल्यों के लिए हाब्स, लॉक, रूसो, बेन्थम और मिल को हम सदा याद करते हैं। ए0वी0 डायसी ने मानवाधिकार को अथवा मानव मूल्यों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की। मानवाधिकारों की यात्रा में मैग्नाकार्टा सन् 1215, अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स, 1627, भी मील के पत्थर हैं। अमेरिकी संविधान के बाद फ्रांस की संसद ने 1789 में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सांविधानिक विधि का निर्माण किया। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ही महान ग्रन्थों का निर्माण हुआ, जैसे गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, रामायण और पुराण। ये सारे ग्रन्थ मानव मूल्यों की स्थापना के लिए उदृधत किए जाते हैं। भारत में मानवाधिकार ही नहीं बल्कि स्त्रियों के अधिकार पर भी बहुत अधिक जोर था। भारत का प्राचीन काल, नारी सशक्तीकरण के मूल्यों से ओत–प्रोत था। मध्य काल में वाह्य आक्रमण एवं युद्धों के कारण पुरूष प्रधान समाज का प्रभाव बढ़ा और ऐसे मूल्यों का निर्माण हुआ, जो नारी विरोधी थे। भारत ही दुनिया को सबसे पुराना नारी विमर्श संस्तुत कर सकता है, क्योंकि भारत की आदिकाल से ही मान्यता है कि 'यत्र नारयस्य पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'। भारत ने दुनिया को गार्गी, अपाला, मैत्रैयी, लक्ष्मीबाई और सीता के आदर्श

Scanned with CamScanner

प्रदान किए। यहां तक कि आज हम प्रमाण पत्रों में माता के नाम का उपयोग शुरू कर रहे हैं, जबकि भारत माता के महान सपूतों का नाम माता के ही नाम से जाना जाता था, जैसे कौशल्यानन्दन और देवकीनन्दन। नारी सशक्तीकरण का विषय हो अथवा मानवाधिकारों की रक्षा का प्रश्न हो, हमें विदेश के बाजारवाद की संस्कृति से दूर रहकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर सभी सुखी हों और सभी के अधिकारों की रक्षा हो। तकनीकी रूप से देखा जाए तो मूल्यों का उल्लंघन उसी समाज में होता है, जहां किसी न किसी प्रकार का अभाव होता है। अतः इन अधिकारों की रक्षा का दूसरा पहलू जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आर्थिक सम्पन्नता। जो समाज विपन्न होता है, उसमें मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती। श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि 'नहिं दरिद्र सम दुःखी न दीना' जिसका अर्थ है दुनिया में अगर सबसे अधिक कोई दीन और दुःखी हो सकता है, तो वो दरिद्र ही हो सकता है। अधिकारों की रक्षा मूल्यों से भी जुड़ी हुई हैं, भौतिकवादी संस्कृति में हम लंका का निर्माण तो कर सकते हैं, किन्तु जब तक हम त्याग नहीं करेंगें, फिर से अयोध्या नहीं बस सकती। तुलसीदास जी ने लिखा है, 'परहित सरिस धरम नहि भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई।' अर्थात् दूसरों को पीड़ित करने से बड़ा अधर्म और दूसरों का हित करने से बड़ा धर्म कोई नहीं। आज जब हम नारी सशक्तीकरण की बात करते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो लोग मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर नारी की अस्मिता नष्ट कर रहे हैं, क्या वो लोग धार्मिक रह गए हैं? एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि आज की दुनिया बहुत बड़ा हिस्सा हिंसक मूल्यों की स्थापना के लिए अथवा शान्ति के लिए लड़ रहा है। यदि हिंसक मूल्यों की स्थापना हो गई, तो किसके अधिकार बचेंगें? महान मूल्यों की स्थापना के लिए हमें बहुत सशक्त भी होना पड़ेगा। नारी सशक्तीकरण के भी मापदण्ड अलग–अलग हैं, अमेरिका–यूरोप के अलग, पश्चिम एशिया के अलग और दक्षिण एशिया के अलग। आज पश्चिम एशिया में आतंकी नारियों के साथ क्या कर रहे हैं, यह भी सोचने–समझने की जरूरत है। इसी तरह मानवाधिकार का भी प्रश्न है। महान मूल्यों की स्थापना करने के लिए एवं नारी अधिकार व जनाधिकार की रक्षा के लिए हमें सिर्फ वैचारिक शक्ति की ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति, मानव शक्ति और सैन्य शक्ति की सख्त आवश्यकता है, अन्यथा नारी सशक्तीकरण एक सपना ही रह जाएगा।

अंततः हम आज के विश्व में इतना अवश्य समझ रहे हैं कि नारी सशक्तीकरण के क्या–क्या पहलू हैं, पहले चेतना का स्तर इतना अच्छा नहीं था। सरकार, संविधान, कार्यक्रम, विधि, मीडिया और शिक्षक, इन सबकी नारी सशक्तीकरण में बहुत बड़ी भूमिका है। नारियों को भी नारी अधिकार के लिए जागरूक होना है। साथ ही साथ उन्हें इसके प्रति क्रियाशील भी होना है।

संदर्भ सूची

1.Yojana, Volume-56, June, 2012, p. 9
2. Ibid, p. 30
3. Ibid, p. 31-32
4. Fifty years of Human Rights, p. 35 edited by A. Nautiyal, published by Sarita Book House, Delhi, first edition, 2002.s

Scanned with CamScanner